

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 69/2019

1- बच्छराज पुत्र चन्दनमल जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील
लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्त

बनाम

1- राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर
राज0।

2- तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 16/2017 बअनुवान राज्य
सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम बच्छराज निर्णय दिनांक
29.04.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 16/2017 बअनुवान पटवारी हल्का
लाडनूं बनाम बच्छराज में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरुद्ध पेश की
है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने
अपीलान्त/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर
निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)


रकबा 14-18 बीघा भूमि किस्म गैर मु0 खड्डा में से रकबा 00.03 बीघा भूमि पर संवत् 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा कारखाना बाड़ बना कर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 4/- अक्षरे चार रूपये कायम किया गया।

{3} -अपीलान्त ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :-

{3}(1)-यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) -यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थीया के पति द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट सेंटलमेंट विभाग से सही माप चोप सहित रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया के बावजूद भी बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागर)

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) —यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फेरियस्त दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा कब्जा आधिपत्यसूदा क्यसूदा भूमि को प्रार्थी अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.1997 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 154 पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 406/97 उपपंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा खींवराज झंवर पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण झंवर दत्तक पुत्र मनसुखलाल झंवर जाति महेश्वरी झंवर निवासी लाडनूं से फलावट 2026.80 वर्गफूट भूमि क्य की हुई है। जिसका इमारती पट्टा ठिकाना लाडनूं से विक्रय सम्वत 2008 का मिति मींगसर सूद 8 का लक्ष्मीनारायण मनसुखलाल खींवराज बेटा पोता भेरुबगस के नाम का बना हुआ है। पट्टाधारी लक्ष्मीनारायण द्वारा दिनांक 03.04.1955 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध बंटवारा से उक्त पट्टा की पुरी जमीन मनसुखलाल के बंट में आयी थी ओर मनसुखलाल के देहान्त के बाद भूमि का स्वामी जीवनमल हुआ। गौरतलब है कि प्रार्थी अपीलार्थी की क्यसूदा कब्जासूद स्वामित्वसूदा भूमि का इमारती पट्टा तत्कालीन जागीरदार लाडनूं द्वारा जारी किया हुआ है।

{3}(4)— यह है कि प्रार्थी अपीलार्थी की क्यसूदा भूमि का इमारती पट्टा तत्कालीन जागीरदार लाडनूं द्वारा जारी किया हुआ है जो उक्त झंवर लक्ष्मीनारायण मनसुखलाल खींवराज बेटा पोता भेरुबगस के नाम का जारी किया हुआ है। तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस भूमि को आबादी में हस्तान्तरण कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प-6"42" राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1963 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त पट्टाधीन भूमिया आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां है जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि उक्त आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 से संबंधित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेकों पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।


{3}(6) – यह है कि उपरोक्त प्रार्थी की बंटसूदा व कब्जा आधिपत्यसूदा भूमि के गत स्वामी गोदावरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी (बिहानी) निम्बी जोधा द्वारा


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



मिशल संख्या 68/67-68 दिनांक 14.06.1967 के द्वारा उपरोक्त तामिर इजाजत हेतु आवेदन किया था जिस पर तत्कालीन एग्जिक्यूटिव आफिसर नगरपालिका लाडनू द्वारा दिनांक 26.07.1967 को उपरोक्त पट्टासूद भूमि पर तामिर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त रहवासीय जायगा में जल व विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा प्रार्थी की माता द्वारा कार्यालय नगरपालिका मण्डल लाडनू में पु. संख्या 30 रसीद संख्या 64 दिनांक 29.12.2015 को गृहकर की राशि भी अदा की हुई है प्रार्थी ने अपने उपरोक्त रहासीय मकान के विद्युत व जल कनेक्शन के बिल विपत्र अनुसार राशि भी अदा कर रहा है तथा नगरपालिका लाडनू द्वारा परमानेंट हाडस नं. भी वार्ड ने. 14 में क्रमांक 5208 के द्वारा दे रखा है। जो उपरोक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां सलंगन प्रार्थना पत्र है।


[3](5) - यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 से संबंधित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेकों पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

[3](6) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29.04.2019 में भू अभिलेख निरीक्षक लाडनूं की रिपोर्ट दिनांक 29.04.2019 तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार भू0अ0 लाडनूं के आदेश भू0अ0/2017/1032-38 दिनांक 08.04.2017 की पालना में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है जो उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरा की विभाजित भूमियों एवं खसरा 1851 व 1852 जो कि आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के पास ही स्थित है के चारों ओर संघन आबादी क्षेत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नही करके मौके पर रास्तों करी खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकार्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।


[3](7) - यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पत्ति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तावेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

(3)(8) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032-1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत कठित टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमाज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनुसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।


(3)(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलोच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विरोधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलोच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाौर)

है उनके द्वारा उक्त कयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण रखा है जो वर्षों पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलोच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

(10)– यह है कि आलोच्य आदेश के अधीन रही भूमि खसरा नम्बर 1639 की भूमि रही है जो आबादी की भूमि है के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रूप से की गयी अतिक्रमण संबंधित रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया एवं उक्त प्रकरण का प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा फेरियस्त दस्तावेजों सहित जबाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था एवं प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन भी किया कि उपरोक्त एक ही विषय वस्तु को लेकर पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है जो आदेश आज भी अंतिम आदेश के रूप में बने हुये है के बावजूद भी उपरोक्त प्रकरण दर्ज करना विधि के सिद्धान्तों के विपरित होकर रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित होने से उक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे।


(11) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तहसीलदार भू0अ0 की अधिकारिता से गठित सर्वे टीम तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर उपरोक्त आलोच्य प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जबकि उपरोक्त हल्का पटवारी सहित गठित सीमाज्ञान टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अपने मालिकाना दस्तावेजों के अनुसार मौके पर काबिज है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दस्तावेज पेश किये गये तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में सर्वे टीम द्वारा अपनी उपरोक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 में वर्णित भी किया है कि उपरोक्त खसरान भूमि के अधिकाश कब्जा धारियों के पक्ष में माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश से आबादी हो रखी है परन्तु इसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं है के तथ्य सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व नियमों के


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नापौर)

विपरीत जाकर पारित किया गया होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावे।

(3)(12) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के अधीन आने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चूंकि उक्त भूमि आबदी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।


(3)(13) - यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीहवाना (नागौर)

रहवान से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास्त एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज करना जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

(3)(14)—यह है कि प्रार्थी अपीलार्थी को प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्णित करवाया जा रहा है कि उपरोक्त आलोच्य आदेश के अधीन वर्णित खसरा नम्बर 1639 की भूमि का समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा भिन्न भिन्न लोगों के प्लॉ में आबादी भूमि घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं जो उपरोक्त आदेशानुसार आलोच्य आदेश के अधीन वर्णित खसरा नम्बर 1639 की भूमि को भिन्न भिन्न टुकड़ों में विभक्त किया जाकर अलग से बट्टा नम्बर दिये जाकर आबादी भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है उपरोक्त घोषणात्मक वाद के आदेश से व्यथित होकर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज करना दिये जाने से तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष भी उपरोक्त प्रथम न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर दर्ज कराये थे जो माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा भी विचारार्थ ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज फरमा दिये गये थे । जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की सुस्थापित सिद्धान्तों व नियमों से परे जाकर रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों के विपरित उपरोक्त प्रकरण दर्ज करवाये हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करवाया जाने योग्य होने से निरस्त फरमाया गया हैं।

(3)(15)—यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित हैं को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त सन्यावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

[4] उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 23.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 23.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड उनके पत्र क्रमांक 348 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा प्राप्त हुआ।

[5]- अपीलान्त ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया।





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागर)

अपीलान्ट ने दिनांक 3.08.21 को एक प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार तथा दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया।

अपीलान्ट की उक्त तीनों प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।


[6] -प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में नहीं पेश कर विलम्ब से पेश की है जिसके लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.4.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से या जानकारी होने पर नकल लेने से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील की नकले 2.07.2019 को प्राप्त की तथा अपीलान्ट ने बताया कि उसे निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी अतः निर्णय की जानकारी नकल लेने से हुई होने से अपीलार्थी को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

[7]- वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाँर)

भूमि के रूप में खरीद की गयी है। निर्माण कार्य हेतु विधिवत रूप से नगरपालिका लाडनूं से अनुमति लेकर ही निर्माण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस लब्धो को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 16/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनूं बनाम ओम प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

(B) - बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं द्वारा विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त हुई। वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 नया तरमीम ऑनलाईन रिकॉर्ड में अमल दरामद के पश्चात नया खसरा नम्बर 1639 के 10 नये खसरों में विभाजित हो चुका है। जिसमें 09 खसरे गै0मु0 आबादी में अमल दरामद नक्शा में तरमीम हो चुके हैं व 01 खसरा 2936/1639 गै0मु0 खड्डा भूमि तरमीम होकर रिकार्ड में दर्ज हो चुकी हैं पुराना खसरा नम्बर 1639 में बच्छराज पुत्र चन्दनमल जांगीड़ की भूमि का मौका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार देखा गया व अतिक्रमण भूमि का कब्जाधारी से साक्ष्य कब्जा के सबूत मांगे गये तो बच्छराज जांगीड़ द्वारा उक्त भूमि 03 बिस्वा कय शुदा पुराने पट्टे की भूमि में से रजिस्ट्री कराई हुई भूमि बताया गया है जिसकी रजिस्ट्री की प्रति पेश की गई जो संलग्न है। मौके के अनुसार बच्छराज जांगीड़ की भूमि खसरा नम्बर 1639/1 गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 1634 गै0मु0 आबादी के मध्य में आती है, जिसमें लोग आबाद मकानात बने हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खड्डा भूमि का हिस्सा



अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

है। वह नया खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खड्डा इसी भूमि के दक्षिण दिशा में खाली है।


तहसीलदार लाडनूं द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त बच्छराज का प्लॉट ख0नं0 1639/1 गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 1634 आबादी के मध्य में में स्थित है जिसमें आबाद मकानात बने हुए हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में खसरा खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खड्डा भूमि का हिस्सा होना तहसीलदार लाडनूं की मौका रिपोर्ट में बताया गया है। इसी खसरे की अन्य मौका रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा यह अंकन किया गया है कि पुराना रिकार्ड एवं वर्तमान ऑन लाइन तरमीम में भिन्नता है। यह भूमि भी आबादी के मध्य स्थित है अतः सही सही नपती होनी अति आवश्यक है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्त द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकार्ड तथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेष व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जाँच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश :::

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.07.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जाँच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।


(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)